वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 174/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-17.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 16.05.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

03.थाना अतरौलिया:दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण –

दिनांक 28.03.25 को वादी झिनकु राजभर पुत्र रामचरितर निवासी उपटापार बांसगाव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि उसकी पुत्री पुनीता राजभर की शादी लगभग तीन वर्ष पूर्व हुई थी। विपक्षीगण द्वारा दहेज की मांग करने दहेज की पूर्ती न होने के कारण सास द्वारा घर से भगा देने व वादी का दामाद तीन दिन पूर्व से आकर अपनी पत्नी के साथ उपटापार बांसगांव में रहकर अपनी पत्नी पुनीता की गला दबाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दाखिल किए मौखिक आदेश थानाध्यक्ष महोदय के दाखिला प्रा0पत्र के आधार पर कायमी **मु0अ0सं0 105/25 धारा 85,80 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट** बनाम 1. सोनू राजभर पुत्र रूदल राजभर निवासी सहतपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर 2. सास दुर्गावती पत्नी रूदल राजभर निवासी सहतपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर किरन पाल सिंह क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 16.05.25 को **उ0नि0 रमेश सिंह मय** हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित **अभियुक्ता दुर्गावती पत्नी रूदल राजभर निवासी सहतपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर** की गिरफ्तारी हेतु थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर पहुंचकर उक्त थाने से अभियुक्ता के घर सहतपुर दविश दी गयी अभियुक्ता अपने घर के दरवाजे पर मौजूद मिली जिसे कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 10.50 बजे म0आ0 स्वेता मिश्रा की हिरासत मे दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

02.थाना कन्धरापुर: सरकारी कार्य में बांधा पहुँचाने व हत्या के प्रयास में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना-

दिनांक 15.05.2025 को ग्राम इसहांकपुर के गाटा सं 157/0.0016 हे0 के सम्बन्ध में उ0प्र0 रा0स0 2006 की धारा 134 वाद सं T 202415060102800 पारित आदेश दिनांक 27.07.24 को वादी राजेश यादव पुत्र स्व0 राजाराम नि0 इसहाकपुर थाना कन्धरापुर के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र एंव आदेश उच्चाधिकारी के क्रम में कब्जा दिलाने का आदेश पारित था जिसके अनुपालन हेतु श्रीमान् उपजिलाधिकारी सदर महोदय के कार्यालय पत्र सं0 1221/एसटी एस0 डी0 एम0 दिनांक 28.04.25 को राजस्व व पुलिस बल की संयुक्त टीम जिसमें नायब तहसीलदार नगर श्री माधवेन्द्र सिंह राजस्व निरीक्षक रामजीत व क्षेत्रीय लेखपाल के साथ राजस्व टीम व पुलिस बल उपस्थित हुए थे मौके पर आवेदक राजेश यादव पुत्र स्व0 राजाराम नि0 इसहाकपुर व विपक्षी राकेश यादव पुत्र स्व0 हरिवंश यादव उपस्थित थे मौके पर लगभग 2.30 PM पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराया जा रहा था अचानक राकेश यादव पुत्र स्व0 स्व0 हरिवंश यादव व फुलमासी देवी पत्नी राकेश यादव व सोनू यादव, मोनू यादव, विपुल यादव पुत्रगण राकेश यादव व अन्जू यादव पुत्री राकेश यादव नि0 ग्रा0 सिकरौरा तह सदर थाना कोतवाली जनपद आजगढ़ एक राय होकर उक्त सरकारी कार्य को अवरोध करने लगे और अचानक लाठी डण्डा व ईट पत्थर से जान मारने की नीयत से राजस्व टीम पुलिस तथा उपस्थित लोगो पर हमला कर दिए तथा आजमगढ़ से बिलरियागंज मार्ग को अपने टेम्पो मोटरसाईकिल व लकडी रखकर रोड को बाधित कर दिये तथा गाली देने लेग जिससे मौके पर जनमानस में अफरा तफरी मच गई मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे उपरोक्त अभियुक्तो द्वारा सरकारी कार्य मे अवरोध उत्पन्न किया जाने लगा और रोड जाम करके सड़क मार्ग को अवरोध किया जाने लगा सूचना पर प्र0नि0 कन्धरापुर मय हमराह तथा अन्य पुलिस कर्मियो के पहुचने पर शान्ति कराया गया एंव रोड जाम खुलवाया गया उक्त के सम्बन्ध मे राजस्व लेखपाल के तहरीर के आधार **पर 139/25 धारा 3(5)/109/352/131/132/285 BNS व 7 CLA ACT बनाम1**.राकेश यादव पुत्र स्व0 हरिवंश यादव 2. फूलवासी देवी पत्नी राकेश यादव 3. सोनू यादव पुत्र राकेश यादव 4. मोनू यादव पुत्र राकेश यादव 5.विपुल यादव पुत्र राकेश यादव 6. अंजू यादव पुत्री राकेश यादव समस्त सा0 सिकरौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़. के विरूद्ध पंजीकृत हुआ है जिसकी विवेचना व0उ0नि0 रमेश कुमार के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है एंव मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण व बाल अपचारी किशोर को गिरफ्तार किया गया है। तथा अभियुक्त विपुल यादव पुत्र राकेश यादव वांछित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 16.05.2025 को **प्र0नि0 कृष्ण कुमार गुप्ता कुमार मय हमराह** द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त 1. राकेश यादव पुत्र स्व0 हरिवंश यादव निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली आजमगढ हाल पता ग्राम इसहाकपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 55 वर्ष, 2. विशाल उर्फ सोनू यादव पुत्र राकेश यादव निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली आजमगढ हाल पता ग्राम इसहाकपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष , 3. विकाश उर्फ मोनू यादव पुत्र राकेश यादव निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली आजमगढ हाल पता ग्राम इसहाकपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष , 4. फूलवासी देवी पत्नी राकेश यादव निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली आजमगढ हाल पता ग्राम इसहाकपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 52 वर्ष** व 5. बाल अपचारी को समय 10.50 बजे उनके घर ग्राम इसहाकपुर से पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिफ्तार/पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त-

1. राकेश यादव पुत्र स्व0 हरिवंश यादव निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली आजमगढ हाल पता ग्राम इसहाकपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 55 वर्ष,
2. विशाल उर्फ सोनू यादव पुत्र राकेश यादव निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली आजमगढ हाल पता ग्राम इसहाकपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष ,
3. विकाश उर्फ मोनू यादव पुत्र राकेश यादव निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली आजमगढ हाल पता ग्राम इसहाकपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष ,
4. फूलवासी देवी पत्नी राकेश यादव निवासी सिकरौरा थाना कोतवाली आजमगढ हाल पता ग्राम इसहाकपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 52 वर्ष व
5. बाल अपचारी थाना कोतवाली आजमगढ हाल पता थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 16 वर्ष

03.थाना दीदारगंज: अवैध असलहा,चाकू व चोरी की वाहन के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक-15.5.25 को वादी मुकदमा रुपेश कुमार पुत्र शंकर गौतम निवासी खैरुद्दीनपुर अलीबक्स थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर ग्राम समुद्रपुर थाना दीदारगंज आजमगढ से वादी की मोटरसाइलिक जिसका नम्बर UP50BJ8739 को ग्राम समुद्रपुर से अज्ञात चोर द्वारा चुरा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर **मु0अ0स0 124/25 धारा 303(2) बीएनएस** बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत हुआ था। जिसमें अभियुक्तो की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 16/05/25 को **व0उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह** द्वारा चेकिंग के दौरान एक मोटरसाईकिल पर 03 व्यक्ति सवार गद्दोपुर के तरफ से पल्थी की तरफ आते हुए दिखायी दिये, जिसे घेरकर पकड़ लिया गया। पहले व्यक्ति ने अपना बताया बीरू कुमार s/0 फिरन्ती ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष तथा उसके पीछे बैठा व्यक्ति अपना नाम शनी गौतम S/O लालचन्द R/O आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 19 वर्ष व तीसरे नम्बर पर जय कुमार गौतम S/O दलसिंगार R/O आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष को 01 अदद तमंचा 303 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद हुआ व शनी गौतम S/O लालचन्द के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू तथा तीसरा व्यक्ति जय कुमार गौतम S/O दलसिंगार उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद नजायज चाकू तथा बायें जेब से 1000 रूपया बरामद हुआ।

अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.05.25 को समुद्रपुर बारात से मोटर साइकिल जिसका न0 UP50BJ 8739 हीरो स्पेलेंडर(जिसपर हम लोग जा रहे थे) चोरी किये थे। थाना द्वारा सूचना प्राप्त किया गया कि दिनांक 15.5.25 को वाहन चोरी के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 124/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। और पूछताछ पर बताये कि लगभग 40 दिन पहले शाहगंज कस्बे में आयी बारात से एक वाहन चुराये थे तथा 09.05.25 को मै व मेरे साथी शनी कुमार व जय कुमार साथ मिलकर थाना सिधारी जनपद आजमगढ आयी बारात से एक बाईक चोरी किये थे। अभियुक्तो के निशान देही पर दो वाहन और बरामद किये गये।तथा जय कुमार गौतम के पास में बरामद एक हजार रूपये के बारे में पुछताछ किया तो बताया कि लगभग दिसम्बर 2024 में ग्राम संग्रामपुर में एक घर से गेहूं चावल सरसो व कुछ अन्य समान चोरी किये थे । जिसको हम लोगो ने एक अंजान व्यक्ति को 32000 रूपये मे बेचकर पैसे आपस मे बांट लिये थे और खाने पीने खर्च कर दिये है। पकडे गये व्यक्तियो को अवगत कराते हुये **समय करीब 05.50 बजे** हिसारत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1-बीरू कुमार s/0 फिरन्ती ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

2-शनी गौतम S/O लालचन्द R/O आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 19 वर्ष

3- जय कुमार गौतम S/O दलसिंगार R/O आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0-125/25 धारा 317(2) बीएनएस व 3/7/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट, दीदारगंज, आजमगढ़

2- मु0अ0सं0- 124/25 धारा 303(2) बीएनएस, थाना दीदारगंज, आजमगढ़

बरामदगी-

1-01 अदद तमंचा .303 बोर 02 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर व 02 अदद चाकू, व 03 अदद चोरी की मोटर साइकिल

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

2. व0उ0नि0 अनिल कुमार सिंह SI सुरेन्द्र यादव . SI नागेन्द्र कुमार पाण्डेय SI धर्मेन्द तिवारी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

04. थाना अतरौलिया: कम्पोजिट विद्यालय से चोरी गये सामान के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार, अवैध असलहा व कारतूस बरामद।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 03.04.2025 को वादी वृजभान यादव पुत्र रामकेवल यादव ग्राम अनन्तपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ प्रधानाध्यपक कम्पोजिट विद्यालय पेडरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ तहरीरी सूचना अज्ञात चोरों द्वारा कम्पोजिट विद्यालय पेडरा भुडकुडा के कक्ष का ताला तोडकर उसमे रखा 02 पीस मॉनीटर,01 पीस यूपीएस एक पीस टीवी चोरी कर लेने के सम्बन्ध में **मु0अ0सं0 111/25 धारा 331(4),305(a) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 09.05.25 को आगन्तुक रमेश कुमार पुत्र त्रिवेणी कन्नौजिया निवासी डीह भीयाव थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर (प्रधानाध्यापक प्रा0 वि0 बनवारीपट्टी थाना अतरौलिया आजमगढ़) का एक प्रा0पत्र अज्ञात चोरों द्वारा प्राथमिक विद्यालय बनवारीपट्टी थाना अतरौलिया आजमगढ़ आफिस कक्ष के दो आलमारी का लाकर तोडकर उसमे रखा माइक बीटा मशीन सेट, दो ब्लूटूथ, स्पीकर, दो तौलिया, स्टेशनरी के सामान, प्लम्बर सामाग्री,व किचेन से गैस चूल्हा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में **मु0अ0सं0 158/25 धारा 331(4),305(a) बीएनएस** बनाम 1. अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 विनय कुमार यादव के द्वारा सम्पादित की जा रही है। बरामदगी के आधार पर अभियोग **उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएसएस की बढ़ोत्तरी किया** गया तथा अभियुक्त के कब्जे से बरामद एक अदद अवैध तमंचा 0.313 बोर व एक अदद कारतूस 0.313 बोर के आधार पर वादी मुकदमा के लिखित फर्द के आधार पर मु0अ0सं0 162/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट बनाम हिमांशु पाण्डेय पुत्र संदीप पाण्डेय निवासी बहिंगवा जोगीपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 20 वर्ष पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 16.05.25 **को उ0नि0 विनय कुमार मय** हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हिमांशु पाण्डेय पुत्र संदीप पाण्डेय निवासी बहिंगवा जोगीपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 20 वर्ष को गैस चूल्हा, एक अदद ब्लूटूथ स्पीकर, एक अदद माइक, दो अदद तौलिया व एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व रुपये कुल 14250 /- रूपये के साथ खीरिडीहा अन्डरपास के नीचे से समय करीब 04.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा बरामदगी के आधार पर **मु0अ0स0 158/25 व मु0अ0स0 111/25 धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी** की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 158/25 धारा 305(a)/331(4)/ 317(2) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 111/25 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 162/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-हिमांशु पाण्डेय पुत्र संदीप पाण्डेय निवासी बहिंगवा जोगीपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 20 वर्ष

पूर्व का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 220/24 धारा 379/411 भादवि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 267/24 धारा 303(2),319(2),317(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 283/24 धारा 303(2),317(2)बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 -270/24 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 162/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 186/24 धारा 303(2),317(2), 338,336(3),340(2) बीएनएस थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर
7. मु0अ0सं0 215/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर
8. मु0अ0स0 158/25 धारा 305(a)/331(4)/ 317(2) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 111/25 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

1-एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

2-एक गैस चूल्हा, एक अदद ब्लूटूथ स्पीकर, एक अदद माइक, दो अदद तौलिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 विनय कुमार मय हमराह हे0का0 गोविन्द मौर्या, का0 धन्नू यादव व का0 रमेश कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 16.05.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा छेड़खानी के आरोप में दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के कठोर कारवास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना पवई: किशोरी के साथ छेड़खानी करने के अभियोग में 01 आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारवास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 12.03.20215 को वादिनी मुकदमा थाना पवई, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 12.03.2015 को समय करीब 15.45 बजे वादिनी के दो बच्चे एक लड़का व एक लड़की गेंहू पिसवाने हरिनाथ पाण्डेय पुत्र राम अरज पाण्डेय निवासी उपरोक्त के चक्की पर गये थे उसी समय अभियुक्त हरिनाथ पाण्डेय द्वारा वादिनी मुकदमा की बच्ची को अन्दर बुलाकर उसके साथ गलत नियत से छेड़खानी किया जब वादिनी ने इसकी शिकायत की तो वादीनी को गाली देकर भगा दिया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध **थाना पवई पर मु0अ0सं0- 40/2015 धारा-354,504 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)10 Sc/ST Act** पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 06 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 16.05.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हरिनाथ पाण्डेय पुत्र राम अरज पाण्डेय निवासी ग्राम भरचकिया, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारवास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।